

नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र

दिनांक 03.08.2023 को शाम 04:00 बजे श्री ए बिपिन मेनन विकास आयुक्त एनएसईजेड की अध्यक्षता में नोएडा, ग्रेटर नोएडा और खुर्जा में स्थित निजी एसईजेड के संबंध में अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में अनुमोदन समिति के निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया:-

- i. श्री सुरेंद्र मलिक, संयुक्त विकास आयुक्त, एनएसईजेड (NSEZ)।
- ii. श्री एस.के. राव, अधीक्षक. (सीमा शुल्क), नोएडा।
- iii. श्री चमन लाल, सहायक डीजीएफटी, कार्यालय डीजीएफटी (DGFT), सीएलए, नई दिल्ली।
- iv. सुश्री गरिमा मिश्रा, प्रबंधक, डीआईसी, नोएडा
- v. श्री नीरज कुमार, आयकर अधिकारी, नोएडा।

• इसके अलावा, बैठक के दौरान i) श्री राजेश कुमार, उप विकास आयुक्त, ii). श्री अमित गुप्ता, निर्दिष्ट अधिकारी, iii) श्री प्रकाश चंद उपाध्याय, एडीसी, iv) श्री प्रमोद कुमार, सहायक विकास आयुक्त, v) और; vi) श्री अनुज दीक्षित, यूडीसी भी अनुमोदन समिति की सहायता के लिए उपस्थित थे। यह बताया गया कि गणपूर्ति उपलब्ध है और बैठक आगे बढ़ सकती है।

• प्रारंभ में अध्यक्ष ने प्रतिभागियों का स्वागत किया। एक संक्षिप्त परिचय के बाद, कार्यसूची को क्रमिक रूप से लिया गया। अनुमोदन समिति के सदस्यों के बीच विस्तृत विचार-विमर्श के साथ-साथ आवेदकों/विकासक/इकाइयों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के बाद, जहां भी आवश्यक हो, निम्नलिखित निर्णय लिए गए:-

• **मद संख्या 1 दिनांक 07.07.2023 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक के कार्यवृत्त का अनुसमर्थन:-**

अनुमोदन समिति को सूचित किया गया कि 07.07.2023 को आयोजित नोएडा, ग्रेटर नोएडा और खुर्जा में एसईजेड की बैठक के कार्यसूची और कार्यवृत्त के आइटम नंबर 2 (ii) में टंकण के कारण मेसर्स सीआरएम सर्विसेज का प्रस्तावित स्थान इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को 'चौथी मंजिल, टावर-8, चौथी मंजिल, टावर-9 और ग्राउंड फ्लोर, टावर-11' के बजाय 'चौथी मंजिल, टावर-8 और चौथी मंजिल, टावर-9' लिखा गया था। अनुमोदन समिति को सूचित किया गया कि 07.07.2023 को आयोजित नोएडा, ग्रेटर नोएडा और खुर्जा में एसईजेड की बैठक के कार्यसूची और कार्यवृत्त के मद संख्या 2 (ii) में टंकण के कारण मेसर्स सीआरएम सर्विसेज का प्रस्तावित स्थान इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को 'चौथी मंजिल, टावर-8, चौथी मंजिल, टावर-9 और ग्राउंड फ्लोर, टावर-11' के बजाय 'चौथी मंजिल, टावर-8 और चौथी मंजिल, टावर-9' लिखा गया था। इकाई को सही स्थान के साथ दिनांक 31.07.2023 का एलओए जारी किया गया है। समिति ने इसका संज्ञान लिया। चूंकि 07.07.2023 को आयोजित अनुमोदन समिति के निर्णयों के संबंध में अनुमोदन समिति या व्यापार के

I/49703/2023

किसी भी सदस्य से कोई संदर्भ प्राप्त नहीं हुआ था, इसलिए, 07.07.2023 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

मद संख्या 2: अधिकृत संचालन के लिए सामग्रियों की सूची के अनुमोदन के लिए प्रस्ताव:-

2(i): मैसर्स. कोफोर्ज लिमिटेड, डेवलपर

2(i).1 मैसर्स कोफोर्ज लिमिटेड, आईटी/आईटीईएस के विकासक, प्लॉट संख्या टीजेड-02 और 2ए, टेकज़ोन, ग्रेटर नोएडा (उत्तर प्रदेश) ने अपने विशेष आर्थिक क्षेत्र में डिफॉल्ट अधिकृत संचालन को जारी रखने के लिए सामग्रियों की सूची के अनुमोदन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया:-

क्रमांक	अधिकृत संचालन	निर्देश संख्या 50 और 54 के अनुसार अधिकृत संचालन की डिफॉल्ट सूची में क्रम संख्या	अनुमानित लागत (Rs. लाख रुपये में)
i.	साइट की परिधि के भीतर और आसपास के प्रवेश, निकास और अन्य बिंदुओं पर सुरक्षा कार्यालय, पुलिस चौकी आदि।	11	5.88
ii.	प्रसंस्करण क्षेत्र में इकाई अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदित सभी प्रकार के भवनों का निर्माण।	22	167.27
iii.	विद्युत, गैस और पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस वितरण संजाल (Network) जिसमें उपयुक्त क्षमता के आवश्यक सबस्टेशन, पाइपलाइन संजाल (Network) आदि शामिल हैं	04	430.30
iv.	प्रसंस्करण क्षेत्र का वातानुकूलन	21	100.00
v.	छिड़काव, आग और धूम संसूचक के साथ अग्नि सुरक्षा प्रणाली	07	12.90
vi.	अभिगम नियंत्रण और निगरानी प्रणाली	24	100.50
		कुल:	816.85

2(i).2 समिति ने पाया कि अनुलग्नक-III में क्रमशः क्रम संख्या 64 और 65 पर प्रस्तावित 'यूपीएस एसी/डीसी कैपेसिटर' और 'सहायक उपकरण के साथ 4 नग यूपीएस' की अनुमानित लागत अधिक प्रतीत होती है।

2(i).3. श्री मुकेश चौहान, वरिष्ठ प्रबंधक और श्री निखिल राठौड़, एम/एस कोफोर्ज लिमिटेड के समूह प्रबंधक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए और प्रस्तावित सामग्रियों की आवश्यकता के बारे में बताया। प्रतिनिधियों ने बताया कि प्रस्तावित यूपीएस 80 केवीए ऑनलाइन यूपीएस है, जिसमें इसके सभी सहायक उपकरण

I/49703/2023

और यूपीएस एसी/डीसी कैपेसिटर भी शामिल हैं और अनुमानित लागत का उल्लेख शनाइडर इलेक्ट्रिक आदि जैसे विक्रेताओं से ली गई दर सूची के आधार पर किया गया है। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि वे यदि आवश्यक हो तो दर सूची की एक प्रति साझा करेंगे।

2(i).4 अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद सामग्रियों की प्रस्तावित सूची को मंजूरी दे दी, जो अनुलग्नक-III में क्रमशः क्रम संख्या 64 और 65 पर प्रस्तावित सहायक उपकरण के साथ '20 नग यूपीएस एसी/डीसी कैपेसिटर' और '4 नग यूपीएस' के संबंध में विक्रेताओं के दर सूची की प्रति प्रस्तुत करने के अधीन थी। अनुमोदन इस शर्त के अधीन है कि निर्दिष्ट अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि आयात के लिए 'प्रतिबंधित/निषिद्ध' उत्पादों की खरीद की अनुमति नहीं दी जाएगी।

2(ii): मैसर्स एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, डेवलपर

2(ii)1. प्लॉट संख्या 3ए, 3बी और 2सी, सेक्टर-126, नोएडा (उत्तर प्रदेश) में आईटी/आईटीईएस के विकासक मेसर्स एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने अपने एसईजेड में डिफॉल्ट अधिकृत संचालन के लिए सामग्रियों की सूची के अनुमोदन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है: -

क्रमांक	अधिकृत संचालन	निर्देश संख्या 50 और 54 के अनुसार अधिकृत संचालन की डिफॉल्ट सूची में क्रम संख्या	अनुमानित लागत (Rs. लाख रुपये में)
i.	छिड़काव, आग और धूम्र संसूचक के साथ अग्नि सुरक्षा प्रणाली	07	71.00
ii.	जल उपचार संयंत्र, जल आपूर्ति लाइनें (स्रोत तक समर्पित लाइनें), सीवेज लाइनें, तूफानी जल नालियां और उपयुक्त क्षमता के जल चैनल	02	1.90
iii.	बिजली (बिजली बैकअप सुविधाओं सहित) केवल स्वयं के उपयोग के लिए	23	10.03
iv.	प्रसंस्करण क्षेत्र में इकाई अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदित सभी प्रकार के भवनों का निर्माण।	22	24.25
v.	प्रसंस्करण क्षेत्र का वातानुकूलन	21	41.68
		कुल:	148.86

2(ii)2. यह सूचित किया गया कि विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 62/2015-2020 दिनांक 23.03.2022 के अनुसार विकासक ने अधिकृत संचालन 'छिड़काव, आग और धूम्र संसूचक के साथ अग्नि

I/49703/2023

सुरक्षा प्रणाली (अनुलग्नक- 1)' के तहत एस नंबर 8 पर डीटीए से '2000 किलोग्राम एचएफसी गैस' की खरीद का प्रस्ताव दिया है, जो निर्यात के लिए 'प्रतिबंधित' है।

2(ii)3. श्री डी.के. शर्मा, सहायक निदेशक और मेसर्स एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के सहायक निदेशक श्री विनोद कुमार सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए और प्रस्तावित सामग्रियों की आवश्यकता के बारे में बताया। प्रतिनिधियों ने बताया कि अनजाने में उपरोक्त सूची में 'एचएफसी गैस' का प्रस्ताव कर दिया गया है। प्रतिनिधि ने इसे प्रस्तावित सूची के क्रम संख्या 8 से बाहर करने का अनुरोध किया और वे शेष वस्तुओं के लिए संशोधित सूची प्रस्तुत करेंगे।

2 (i)4 . अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद अनुबंध- 1 में क्रम संख्या 8 पर प्रस्तावित '2000 किलोग्राम एचएफसी गैस' को छोड़कर सामग्रियों की प्रस्तावित सूची को मंजूरी दे दी, जो इस मद को छोड़कर सामग्रियों की संशोधित सूची प्रस्तुत करने के अधीन थी। अनुमोदन इस शर्त के अधीन है कि निर्दिष्ट अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि आयात के लिए 'प्रतिबंधित/निषिद्ध' उत्पादों की खरीद की अनुमति नहीं दी जाएगी।

मद संख्या 3: सुविधा प्रदाताओं को स्थान आवंटन/ऐसे प्रस्तावों को रद्द करने के प्रस्ताव:

3(i): मेसर्स गोल्डन टावर इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड (मेसर्स हरिहरन हॉस्पिटैलिटी एलएलपी को आवंटन)।

3(i)1. श्री बी.डी. मेसर्स गोल्डन टावर इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के एवीपी जोशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए और प्रस्ताव के बारे में बताया।

3(i)2 अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद आईटी/आईटीईएस के प्रसंस्करण क्षेत्र में दुकान/काउंटर नंबर 3, ग्राउंड फ्लोर, बिल्डिंग नंबर बी-1 पर 600 वर्ग फुट सुपर बिल्ट-अप स्थान के प्लॉट नंबर 8 सेक्टर 144 नोएडा (यूपी) में एसईजेड, एसईजेड नियम, 2006 के नियम 11(5) के संदर्भ में 'दक्षिण भारतीय/चीनी फूड स्टॉल स्थापित करने और संचालित करने के लिए मेसर्स हरिहरन हॉस्पिटैलिटी एलएलपी को पट्टे के आधार पर आवंटन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। यह अनुमोदन इस शर्त के अधीन है कि एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में ऐसी सुविधा स्थापित करने, संचालित करने और बनाए रखने के लिए मेसर्स हरिहरन हॉस्पिटैलिटी एलएलपी को कोई कर/शुल्क लाभ उपलब्ध नहीं होगा, मेसर्स हरिहरन हॉस्पिटैलिटी एलएलपी संबंधित वैधानिक प्राधिकारियों से एसईजेड परिसर में जहां भी लागू हो, ऐसी सुविधा के निर्माण और संचालन के लिए आवश्यक एनओसी/मंजूरी/अनुमोदन प्राप्त करेगा। इस सुविधा का उपयोग विशेष रूप से एसईजेड और उसमें स्थित इकाइयों के कर्मचारियों द्वारा किया जाएगा।

3(ii): मेसर्स गोल्डन टावर इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड समर्थ फूड्स को रद्द करना)।

3(ii).2 अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद प्लॉट नंबर 8, सेक्टर-144, नोएडा (यूपी) में आईटी/आईटीईएस एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में "दक्षिण भारतीय फूड स्टॉल" स्थापित करने

I/49703/2023

और संचालित करने के लिए मेसर्स समर्थ फूड्स को दुकान नंबर 3 पर 600 वर्ग फुट की निर्मित जगह आवंटन के लिए दी गई अनुमति पत्र संख्या 10/212/2008-SEZ/Vol-II/3371 दिनांक 26.05.2020 को रद्द करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

वस्तु नंबर 4. यूनिट के एलओए में अतिरिक्त अधिकृत संचालन को शामिल करने का प्रस्ताव।

4(i). मेसर्स अर्शिया 3पीएल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड

4(i).1 मेसर्स अर्शिया 3पीएल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने अर्शिया नॉर्दर्न एफटीडब्ल्यूजेड लिमिटेड ग्राम इब्राहिमपुर, जुनैदपुर उर्फ मौजपुर, खुर्जा, जिला-बुलंदशहर (उ.प्र.) मुक्त व्यापार और भंडारण क्षेत्र में स्थित अपनी इकाई के एलओए दिनांक 30.10.2018 में एचएस / एक्जिम कोड के साथ निम्नलिखित वस्तुओं को शामिल करने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।:-

क्रमांक	इकाई द्वारा प्रस्तावित आईटीसी (एचएस) कोड	वस्तु विवरण	डीजीएफ आयात/निर्यात/नीति
1.	2811	अन्य अकार्बनिक अम्ल और अधातुओं के अन्य अकार्बनिक ऑक्सीजन यौगिक।	मुफ्त -आयात और निर्यात
	28111100	हाइड्रोजन फ्लोराइड (हाइड्रोफ्लोरिक एसिड)	मुफ्त -आयात और निर्यात
	28111200	हाइड्रोजन साइनाइड (हाइड्रोसायनिक एसिड)	मुफ्त -आयात और निर्यात
	28111920	हाइपोफॉस्फोरस एसिड (फॉस्फिनिक एसिड) आर्सेनिक के अम्ल	
	28111930	आर्सेनिक के अम्ल	मुफ्त -आयात और निर्यात
	28111940	सल्फोनिक अम्ल	मुफ्त -आयात और निर्यात
	28111990	अन्य	मुफ्त -आयात और निर्यात
	28112110	सूखी बर्फ	मुफ्त -आयात और निर्यात
	28112190	अन्य	मुफ्त -आयात और निर्यात
	28112200	सिलिकॉन डाइऑक्साइड	मुफ्त -आयात और निर्यात
	28112910	आर्सेनिक पेंटोक्साइड	मुफ्त -आयात और निर्यात
	28112920	आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड	मुफ्त -आयात और निर्यात
	28112930	नाइट्रस ऑक्साइड	मुफ्त -आयात और निर्यात
	28112940	कार्बन मोनोआक्साइड	मुफ्त -आयात और निर्यात
	28112950	ल्फर ट्राइऑक्साइड (सल्फ्यूरिक एनहाइड्राइड)	मुफ्त -आयात और निर्यात
	28112990	अन्य	मुफ्त -आयात और निर्यात

I/49703/2023

4(i).2. समिति ने पाया कि प्रस्तावित वस्तुओं में से कुछ खतरनाक रसायनों के अंतर्गत आती हैं और इकाई को ऐसी खतरनाक वस्तुओं के भंडारण के लिए सक्षम प्राधिकारी से लाइसेंस लेने की आवश्यकता है।

4(i).3. मेसर्स अशिया 3पीएल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के वरिष्ठ प्रबंधक श्री रोशन लाल और मेसर्स ज्यूपिटर इंटरनेशनल के एवीपी श्री संदीप बता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए और प्रस्ताव के बारे में बताया। श्री रोशन लाल ने समिति को सूचित किया कि उन्होंने अपनी एफटीडब्ल्यूजेड इकाई में खतरनाक वस्तुओं के भंडारण के लिए राज्य सरकार से लाइसेंस प्राप्त किया है। उन्होंने आगे बताया कि उनके ग्राहक मेसर्स ज्यूपिटर इंटरनेशनल की बद्दी (हिमाचल प्रदेश) में एक विनिर्माण इकाई है जहां भंडारण स्थान सीमित है। मेसर्स जुपिटर इंटरनेशनल प्रस्तावित रसायनों को एफटीडब्ल्यूजेड इकाई में संग्रहीत करेगा और अपनी आवश्यकता के अनुसार उनका उपयोग करेगा।

4(i).4. अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद इकाई के स्वीकृति पत्र में प्रस्तावित वस्तुओं को शामिल करने को मंजूरी दे दी। अनुमोदन एफटीडब्ल्यूजेड इकाई में खतरनाक और जहरीले रसायनों के भंडारण के लिए प्रासंगिक नियमों/कानूनों के अनुपालन के अधीन है।

4(ii). मेसर्स अशिया 3पीएल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड

4(ii).1 दिनांक 30.10.2018 को अपने एलओए में एचएस कोड 8804, 8807, 8407, 8411 और 88010010 के तहत निम्नलिखित वस्तुओं को शामिल करने के लिए मेसर्स अशिया 3पीएल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का प्रस्ताव फिर से अनुमोदन समिति के समक्ष रखा गया था :-

क्रमांक	इकाई द्वारा प्रस्तावित आईटीसी (एचएस) कोड	आइटम विवरण	डीजीएफ आयात/निर्यात/नीति
1.	8804	पैराशूट (चलने योग्य पैराशूट और पैराग्लाइडर सहित) और रोटोशूट; उसके हिस्से और उसके सहायक उपकरण।	मुफ्त -आयात और निर्यात
	88040010	पैराशूट (योग्य पैराशूट और पैराग्लाइडर सहित) और उनके हिस्से और सहायक उपकरण।	मुफ्त -आयात और निर्यात
	88040020	रोटोशूट्स; उसके हिस्से और सहायक उपकरण	मुफ्त -आयात और निर्यात
2.	8807	शीर्षक 8801, 8802 या 8806 के माल के हिस्से	मुफ्त -आयात और निर्यात
	88071000	प्रोपेलर और रोटर और उनके हिस्से	मुफ्त -आयात और निर्यात
	88072000	गाड़ियों के नीचे और उसके हिस्से।	मुफ्त -आयात और निर्यात
	88073000	हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर या मानव रहित विमान के अन्य भाग	मुफ्त -आयात और निर्यात

3.	8807	चिंगारी प्रज्वलन प्रत्यावर्ती या रोटरी आंतरिक दहन पिस्टन इंजन	मुफ्त -आयात और निर्यात
	84071000	विमान के इंजन	आयात और निर्यात - नीति शर्तों के साथ निःशुल्क: आयात की निःशुल्क अनुमति पुराना /पुनर्निर्मित भागों को छोड़कर, जिन्हें डीजीसीए से अनुमोदन के अधीन लाइसेंस के बिना आयात किया जा सकता है
	84072100	जहाज़ के बाहर मोटर्स	मुफ्त -आयात और निर्यात
	84072900	अन्य	मुफ्त -आयात और निर्यात
	84073190	अन्य	मुफ्त -आयात और निर्यात
	84073290	अन्य	मुफ्त -आयात और निर्यात
	84073390	अन्य	मुफ्त -आयात और निर्यात
	84073490	अन्य	मुफ्त -आयात और निर्यात
	84079010	पेट्रोल इंजन	मुफ्त -आयात और निर्यात
	84079020	केरोसिन इंजन	मुफ्त -आयात और निर्यात
84079090	अन्य	मुफ्त -आयात और निर्यात	
4.	8411	टर्बो-जेट, टर्बोप्रोपेलर और अन्य गैस टर्बाइन	मुफ्त -आयात और निर्यात
	84111100	25 kN से अधिक न होने वाले धमाका	मुफ्त -आयात और निर्यात
	84111200	25 kN से अधिक के प्रणोद का	मुफ्त -आयात और निर्यात
	84112100	1,100 किलोवाट से अधिक की शक्ति का नहीं	मुफ्त -आयात और निर्यात
	84112200	1,100 किलोवाट से अधिक की शक्ति का	मुफ्त -आयात और निर्यात
	84118100	5000 किलोवाट से अधिक की शक्ति का नहीं	
	84118210	5000 किलोवाट से अधिक लेकिन 15,000 किलोवाट से अधिक नहीं	
	84118220	15000 से अधिक लेकिन 30000 किलोवाट से अधिक बिजली की नहीं	मुफ्त -आयात और निर्यात
	84118230	30000 से अधिक लेकिन 60000 किलोवाट से अधिक बिजली की नहीं	मुफ्त -आयात और निर्यात
	84118240	60000 से अधिक लेकिन 90000 किलोवाट से अधिक बिजली की नहीं	मुफ्त -आयात और निर्यात
84118250	90000 से अधिक लेकिन 115000 किलोवाट से	मुफ्त -आयात और निर्यात	

		अधिक बिजली की नहीं	
	84118260	15000 किलोवाट से अधिक बिजली की	मुफ्त -आयात और निर्यात
	84119100	टर्बो-जेट या टर्बो-प्रोपेलर- के भाग	मुफ्त -आयात और निर्यात
	84119900	भाग- अन्य	मुफ्त -आयात और निर्यात
5.	88010010	ग्लाइडर और हैंग ग्लाइडर	

4(ii).2. यह बताया गया कि समिति के निर्देशों के अनुसार उपरोक्त वस्तुओं के संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) को जांच के लिए वाणिज्य विभाग को भेज दिया गया था। इस संबंध में, वाणिज्य विभाग ने सूचित किया है कि मौजूदा एसईजेड कानून के अनुसार, केवल प्रतिबंधित वस्तुओं के मामले में बीओए की मंजूरी आवश्यक है। तदनुसार, यह अनुरोध किया जाता है कि मामले की जांच एसईजेड नियम, 2006 के नियम 26 और 27 के अनुसार की जाए। इसके अलावा, एमएचए से एक स्पष्टीकरण प्राप्त हुआ था जिसमें कहा गया था कि उपरोक्त वस्तुएं आयात करने के लिए स्वतंत्र हैं और इसके लिए किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। एचएस कोड 88071000, विमान इंजनों को सेकेंड हैंड/पुनर्निर्मित भागों को छोड़कर स्वतंत्र रूप से आयात करने की अनुमति है, जिन्हें डीजीसीए से अनुमोदन के अधीन बिना लाइसेंस के आयात किया जा सकता है।

4(ii).3. अनुमोदन समिति ने वाणिज्य विभाग और गृह मंत्रालय से प्राप्त स्पष्टीकरण के आलोक में प्रस्ताव पर चर्चा की। उचित विचार-विमर्श के बाद समिति ने इकाई के एलओए में प्रस्तावित वस्तुओं को शामिल करने की मंजूरी दे दी। अनुमोदन निम्नलिखित नियम एवं शर्तों के अधीन है:-

- I. ऐसे उत्पाद जो विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) के तहत आयात और निर्यात के लिए "निषिद्ध/प्रतिबंधित" हैं, उन्हें अनुमति नहीं दी जाएगी।
- II. इकाई के अधिकृत संचालन का दायरा सख्ती से एसईजेड नियम, 2006 के नियम 18(5) के अनुसार होगा।
- III. इन वस्तुओं की किसी भी घरेलू टैरिफ क्षेत्र बिक्री की अनुमति नहीं दी जाएगी। केवल भौतिक निर्यात की अनुमति होगी जिसका अर्थ है कि उत्पादों को भारत के भौगोलिक क्षेत्र से बाहर निर्यात करने की आवश्यकता होगी। इसमें डीम्ड निर्यात और यहां तक कि एसईजेड से एसईजेड लेनदेन दोनों शामिल नहीं होंगे।
- IV. विदेश व्यापार महानिदेशालय अधिसूचनाओं/सार्वजनिक सूचना/समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार बंदरगाह प्रतिबंध लागू होंगे।
- V. इकाई को विदेश व्यापार महानिदेशालय की आयात नीति या राज्य सरकार की नीति के अनुसार, जब भी आवश्यक हो, संबंधित विभागों से आवश्यक 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' प्राप्त करनी होगी।

मद संख्या 5: निदेशकों में परिवर्तन की सूचना।

5(i).1 अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद मेसर्स टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड के निदेशकों में इसकी इकाई के संबंध में निम्नलिखित परिवर्तनों पर ध्यान दिया

I/49703/2023

i) सीव्यू डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड आईटी/आईटीईएस प्लॉट नंबर 20 और 21, सेक्टर-135, नोएडा (यूपी) पर एसईजेड और ii) टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड आईटी/आईटीईएस एसईजेड, प्लॉट नंबर 01 सेक्टर-157, नोएडा (यूपी) डीओसी द्वारा जारी निर्देश संख्या 109 दिनांक 18.10.2021 के अनुसार उसमें निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुपालन के अधीन: -

पिछले निदेशक	वर्तमान/संशोधित निदेशक
1. श्री एन चन्द्रशेखरन	1. श्री एन चन्द्रशेखरन
2. श्री राजेश गोपीनाथन	2. श्री के कृतिवासन
3. श्री ओ पी भट्ट	3. श्री ओ पी भट्ट
4. श्री एन गणपति सुब्रमण्यम	4. श्री एन गणपति सुब्रमण्यम
5. सुश्री आरती सुब्रमण्यन	5. सुश्री आरती सुब्रमण्यन
6. डॉ. प्रदीप कुमार खोसला	6. डॉ. प्रदीप कुमार खोसला
7. सुश्री हैने बिरगिटे ब्रिनबजर्ग सोरेनसेन	7. सुश्री हैने बिरगिटे ब्रिनबजर्ग सोरेनसेन
8. श्री केकी मीनू मिस्त्री	8. श्री केकी मीनू मिस्त्री
9. श्री डैनियल ह्यूजेस कैलाहन	9. श्री डैनियल ह्यूजेस कैलाहन

5(i).2. यह निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के अधीन है: -

- I. श्री के कृतिवासन की नियुक्ति के लिए पैन कार्ड और पासपोर्ट/आधार कार्ड की प्रतियां।
- II. श्री रामकृष्णन वेंकटरमन की सेवा समाप्ति के लिए फॉर्म डीआईआर-11/12 की प्रति।
- III. निदेशक की नियुक्ति और समाप्ति के बाद कंपनी के शेयरधारिता पैटर्न का विवरण, यदि कोई परिवर्तन हो, सीए द्वारा प्रमाणित।

5(ii): मैसर्स कॉफोर्ज लिमिटेड।

5(ii)1 5(ii)1 वाणिज्य विभाग द्वारा जारी निर्देश संख्या 109 दिनांक 18.10.2021 के अनुसार, उसमें निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुपालन के अधीन, अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद आईटी/आईटीईएस एसईजेड के एसईजेड विकासक, पी लॉट नंबर टीजेड-02 और 2ए, टेकज़ोन, ग्रेटर नोएडा (उत्तर प्रदेश) में इस एसईजेड में स्थित उनकी चार इकाइयों के संबंध में मैसर्स कॉफोर्ज लिमिटेड के निदेशकों में निम्नलिखित बदलावों पर ध्यान दिया: -

पिछले निदेशक	वर्तमान/संशोधित निदेशक
1. सुश्री होली जेन मॉरिस	1. सुश्री मैरी बेथ बाउचर
2. श्री सुदीर सिंह	2. श्री सुधीर सिंह
3. श्री कीर्तिराम हरिहरन	3. श्री बदब प्रधान
4. श्री हरि गोपालकृष्णन	4. श्री हरि गोपालकृष्णन

I/49703/2023

5. श्री बदब प्रधान	5. श्री पैट्रिक जॉन कॉर्ड्स
6. श्री पैट्रिक जॉन कॉर्ड्स	6. श्री चेओंग टक कुएन कीनेथ
7. श्री चेओंग टक कुएन कीनेथ	7. श्री कीर्तिराम हरिहरन
8. श्री अश्वनी पुरी	8. श्री अश्वनी पुरी

5(ii)2. यह निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के अधीन है: -

- I. सुश्री मैरी बेथ बाउचर की नियुक्ति के लिए पैन कार्ड की प्रति।
- II. सुश्री होली जेन मॉरिस की समाप्ति के लिए फॉर्म डीआईआर-12 की प्रतियां।
- III. शेयरधारिता पैटर्न का विवरण, यदि कोई परिवर्तन हो, सीए द्वारा विधिवत प्रमाणित।

5(iii): मैसर्स ग्लोबललॉजिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।

5(iii) 1 वाणिज्य विभाग द्वारा जारी निर्देश संख्या 109 दिनांक 18.10.2021 के संदर्भ में, उसमें निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुपालन के अधीन, अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद ऑक्सीजन बिजनेस पार्क्स प्राइवेट लिमिटेड आईटी/आईटीईएस प्लॉट नंबर 7 सेक्टर-144 नोएडा (उत्तर प्रदेश) में एसईजेड में स्थित इसकी दो इकाइयों के संबंध में मैसर्स ग्लोबललॉजिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों में निम्नलिखित परिवर्तनों पर ध्यान दिया:-

पिछले निदेशक	वर्तमान/संशोधित निदेशक
1. सुश्री लीला फ़िरोज़ पूनावाला	1. श्री रजत कुमार मेहता
2. श्री रजत कुमार मेहता	2. श्री सुमित सूद
3. श्री तरुण धर्मपाल शर्मा	3. श्री पीयूष कुमार
4. श्री सुमित सूद	
5. सुश्री एमी मैरी हैनलॉन रोडेमिच	

5(iii)2. यह निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के अधीन है: -

- I. श्री पीयूष कुमार की नियुक्ति के लिए आधार कार्ड/पासपोर्ट और पैन कार्ड की प्रति।
- II. निदेशक की नियुक्ति और समाप्ति के बाद कंपनी के शेयरधारिता पैटर्न का विवरण, यदि कोई परिवर्तन हो, सीए द्वारा प्रमाणित।

मद संख्या 6. सक्षम प्राधिकारी द्वारा दी गई मंजूरी का अनुसमर्थन:

6(i). मैसर्स क्लाउडसाइंस लैब्स प्राइवेट लिमिटेड।

I/49703/2023

6(i).1. अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद एलओए संख्या 10/11/2023-एसईजेड/ में दिए गए संशोधित अधिकृत संचालन अर्थात् 'क्लाउड सीआरएम सेवाओं का डिजाइन, विकास और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में परामर्श (सीपीसी-842)' की पुष्टि की। 5461 दिनांक 14.07.2023 को मेसर्स क्लाउडसाइंस लैब्स प्राइवेट लिमिटेड को प्लॉट नंबर 21, सेक्टर-टेकजोन IV, ग्रेटर नोएडा (उत्तर प्रदेश) में अर्थ इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड आईटी/आईटीईएस एसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए जारी किया गया।

अनुपूरक एजेंडा मद

मद संख्या 1: निदेशकों में परिवर्तन की सूचना।

1(i): मेसर्स एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड

1(i).1. अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद मेसर्स एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड और उनकी बारह इकाइयों के एसईजेड विकासक, जो आईटी/आईटीईएस एसईजेड प्लॉट नंबर 3ए, 3बी और 2सी, सेक्टर-126 नोएडा (उत्तर प्रदेश) में स्थित है, के निदेशकों में बदलाव पर ध्यान दिया और यह वाणिज्य विभाग द्वारा जारी निर्देश संख्या 109 दिनांक 18.10.2021 के अनुसार, उसमें निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुपालन के अधीन हैं। यह निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के अधीन है: -

- I. श्री साइमन इंग्लैंड और वनिता नारायणन के पैन कार्ड की प्रतियां।
- II. श्री शिखर मल्होत्रा और डॉ. मोहन चेलप्पा की नियुक्ति के लिए फॉर्म डीआईआर-12, पैन कार्ड और पासपोर्ट/आधार कार्ड की प्रतियां।
- III. श्री सुधींद्र कृष्ण खन्ना, श्री जेम्स फिलिप एडमज़िक की समाप्ति के लिए फॉर्म डीआईआर-12 की प्रति।
- IV. शेयरधारिता पैटर्न का विवरण, यदि कोई परिवर्तन हो, सीए द्वारा विधिवत प्रमाणित।

मद क्रमांक 2: इनपुट सेवाओं के मूल्य के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव:-

2(i): मेसर्स नेटिज़न टेक्नोलॉजी एलएलपी।

2(i).1. अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद अर्थ इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड में स्थित इकाई मेसर्स नेटिज़न टेक्नोलॉजी एलएलपी द्वारा प्रस्तावित 415.00 लाख रुपये के स्वदेशी इनपुट सेवाओं के संशोधित मूल्य पर ध्यान दिया। लिमिटेड आईटी/आईटीईएस एसईजेड प्लॉट नंबर 21, सेक्टर-टेकजोन IV, ग्रेटर नोएडा (यूपी)। ये सेवाएं उक्त एसईजेड स्थित इकाई के संबंध में इस कार्यालय द्वारा स्वीकार किए गए बांड-सह-एल्यूटी के गणना चार्ट में शामिल होंगी।

बैठक अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ समाप्त हुई।

10/06/2022-SEZ

I/49703/2023

(सुरेंदर मलिक)

संयुक्त विकास आयुक्त

(ए बिपिन मेनन)

विकास आयुक्त